

## सी.डब्ल्यू.सी की बैठक में कांग्रेस ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाये

पर, पार्टी ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई, मतपत्र के माध्यम से वोटिंग कराने की प्रक्रिया पर लौटने के बारे में

रेणु मिश्रल -  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 29 नवम्बर हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त हार के बाद, कांग्रेस वरिष्ठ कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किये हैं लेकिन सी.डब्ल्यू.सी. मीटिंग के बाद आये प्रस्ताव में, पार्टी ने मतपत्र से चुनाव कराने की व्यवस्था पर लौटने के मामले पर कुछ हिचकिचाहट दिखाई। लौटने के लिये कहने से बचती नजर आई।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने सी.डब्ल्यू.सी. का 2018 का वह प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया, जिसमें पार्टी ने कहा था कि वह मतपत्र-व्यवस्था पर लौटना तथा ई.वी.एम. व्यवस्था को छोड़ देना चाहती है।

इस बिन्दु पर कई नेता बोले, लेकिन सर्वाधिक स्पष्ट शब्दों में केवल प्रियंका गांधी ने ही कहा कि पार्टी इस बिन्दु पर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये कि वह ई.वी.एम. व्यवस्था चाहती है या मतपत्र व्यवस्था चाहती है तथा इस मामले में स्थिति गोलमोल या अस्पष्ट नहीं होनी

प्रियंका गांधी ने जरूर स्पष्ट शब्दों में कहा, कि पार्टी को साफ कहना चाहिए वह ई.वी.एम. के पक्ष में है या बैलट पेपर से चुनाव कराने के पुराने सिस्टम के। इसमें असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिये। जहां तक उनकी व्यक्तिगत राय है, वे मतपत्र (बैलट पेपर) से मतदान के पक्ष में हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को सदा अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) के समर्थन में बोलना चाहिये, जब भी उन पर हमला होता है, जैसा हाल ही में यू.पी. में हुआ है। राहुल का कथन, पार्टी के उस वर्ग के लिए जवाब था, जो राहुल को सम्भल न जाने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि उनकी यात्रा से तो इस छवि को मजबूती मिलती है, कि कांग्रेस मुस्लिम परस्ट पार्टी है।

खड्गे ने कहा, कि पार्टी को पुनः पटरी पर लाना है, पर इस राह में कई रुकावटें हैं, वरिष्ठ नेताओं के रूप में। खड्गे ने इस सन्दर्भ में यह भी कहा कि सख्त निर्णय लिये जायेंगे आने वाले कुछ दिनों में।

कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं, जो आन्तरिक तौर पर राय देंगी, कैसे पार्टी को चुस्त व चुनाव लड़ने के लिए प्रभावी तौर पर तैयार किया जा सके।

चाहिये। उन्होंने कहा कि जहाँ तक उनका प्रश्न है, वे मतपत्र व्यवस्था के पक्ष में हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि जब भी अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, उस समय पार्टी को उनके पक्ष में बोलने में हिचकना नहीं चाहिये। उन्होंने यह बात उत्तर प्रदेश की हाल ही की घटनाओं के संदर्भ में कही, जहाँ अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। पार्टी का एक वर्ग राहुल के सम्भल दौरे के पक्ष में नहीं था क्योंकि उनके दौरे से इस सोच को और बल मिलेगा कि कांग्रेस मुस्लिम समर्थक पार्टी है।

खड्गे पार्टी की अन्दरूनी लड़ाई के बारे में बोले, जो पार्टी को हरा रही है। उन्होंने कहा पार्टी को फिर से पटरी पर लाने की तथा रिक्त पदों पर नेताओं को नियुक्त करने की जरूरत है।

दिलचस्प बात यह है कि नेतृत्व समस्याएं तो चिन्हित करना चाहता है लेकिन वरिष्ठ नेताओं के रूप में मौजूद कई बाधाओं के कारण, ऐसा कर नहीं पाता। कुछ समितियां बनाई जा रही हैं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लम्बित अपराधिक प्रकरण वाला जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता

जयपुर, 29 नवंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर में करीब दस हजार वर्गमीटर जमीन का स्कूल को हुए आवंटन में से कुछ जमीन बेचने के मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने

हाईकोर्ट ने अलवर के स्कूल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का हर्जाना लगाया।

यह आदेश अंबेडकर नगर विकास समिति व अन्य की ओर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक प्रकरण लंबित है और उसकी जानकारी अदालत में नहीं दी गई। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## दुष्कर्म के प्रयास की सजा पर अपील खारिज

जयपुर, 29 नवंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने फरवरी, 1985 में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने से जुड़े मामले में वर्ष 1992 में दायर अपील को खारिज कर, याचिकाकर्ता अभियुक्त को शेष सजा भुगतने के लिए संरेडर करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ड ड की एकलपीठ ने यह आदेश शिव प्रकाश की याचिका पर दिए। घटना के समय अभियुक्त 20 साल का था। वहीं, अब 59 साल की उम्र में फैसला आया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रयास करने के लिए सबसे पहले संबंधित अपराध करने का इरादा होना

वर्ष 1985 के अपराध पर हाईकोर्ट का निर्णय अब आया। बीस साल की उम्र में किए अपराध की सजा 59 साल की उम्र में भुगतनी होगी।

चाहिए। उसके बाद ऐसा कार्य किया जाए, जो अनिवार्य रूप से अपराध करने के लिए किया गया हो। वहीं, ऐसा कार्य अपराध के परिणाम के निकट होना चाहिए। मामले में अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के लिए वह सबकुछ किया, जो जरूरी था। ऐसे में यह दुष्कर्म के प्रयास का स्पष्ट मामला है।

याचिका में अधिवक्ता प्रणव पारीक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 7 फरवरी, 1985 को दुष्कर्म का प्रयास का मामला बारां थाने में दर्ज कराया था, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पहली बार के सांसद मुरलीधर मोहोले को मुख्यमंत्री बनाने का अमित शाह का प्लान कुछ गफलत में पड़ा?

प्लान के अनुसार शुक्रवार को अमित शाह, विभागों का वितरण फाइनल करने वाले थे, पर अचानक शुक्रवार की सुबह मु.मंत्री शिंदे मुम्बई चले गये और विभाग वितरण की प्रक्रिया स्थगित हो गई

- जाल खंबाता -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -  
नई दिल्ली, 29 नवम्बर एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गृह राज्यमंत्री मुरलीधर किसान मोहोले, जो पुणे से पहली बार भाजपा सांसद चुने गए हैं, को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। वहीं, देवेन्द्र फडनवीस जिनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, को जे. पी. नड्डा की जगह भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

शाह ने मुरलीधर को इसलिए चुना है, क्योंकि वो भी एकनाथ शिंदे की तरह मराठा हैं। वहीं, फडनवीस ब्राह्मण हैं। इसलिए यह सोचा गया है कि उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी दे दी जाए, ताकि महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ विद्रोह न हो।

हालांकि सरकार निर्माण में एक अड़चन आ गई है कि शिंदे अचानक शुक्रवार सुबह मुम्बई लौट गए और वहां से वे सतारा जिले के अपने गांव चले गए, जिससे वार्ता रुक गई है और मंत्रालय वितरण पर चर्चा नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि चर्चा गृहमंत्री अमित

प्लान में यह भी वर्णित था, कि फडनवीस दिल्ली शिफ्ट हो जायेंगे, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा की जगह पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए। प्रस्तावित मु.मंत्री मुरलीधर मोहोले, मराठा हैं, अतः शिंदे की जगह एक मराठा को ही मुख्यमंत्री बनाना उचित समझा जा रहा था, इसीलिए फडनवीस को पार्टी अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेजने की व्यूह रचना की गई थी।

शिंदे के समर्थक शिंदे को दिल्ली भेजे जाने की राय के पक्ष में नहीं हैं, और वे यह भी नहीं चाहते कि शिंदे उपमुख्यमंत्री बनें, क्योंकि यह उनकी पदावनति होगी।

मु.मंत्री शिंदे की एक चिन्ता यह भी है, कि अगर वे राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते नजर आये, तो उनके बैनर पर जीते कई विधायक उद्धव की शिवसेना में जाने का मन न बना लें।

शाह के सामने हो रही है। शुक्रवार को होने वाली मीटिंग में सत्ता की भागीदारी पर अंतिम निर्णय होना था। वार्ता अब आगे खिसका दी गई है। शिंदे ने दिल्ली में हुई वार्ता को सकारात्मक बताया था पर वार्ता

छोड़कर उनका चले जाने से वार्ता अटक गई। सूत्रों ने कहा कि शिंदे को शनिवार को मुम्बई लौटना था। सरकार बनाने पर अनिश्चितता कायम है। हालांकि विधानसभा चुनाव में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## क्या एकनाथ शिंदे दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बनेंगे?

ऐसा लगता है, शिंदे ने यह स्वीकार कर लिया है, कि भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए क्योंकि, उसके ज्यादा विधायक जीत कर आये हैं

-श्रीनंद झा -  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 29 नवम्बर क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बजाय केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल होना ज्यादा पंसद करेंगे?

शिंदे ने, हालांकि, स्वीकार कर लिया है कि मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व भाजपा करेगी, वहीं, विभागों के बंटवारे तथा सत्ता में भागीदारी के मुद्दों को लेकर जिस तरह से विचार किया जा रहा है उससे वो खुश नहीं हैं। केयरटेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आज मुंबई में होने वाली महायुति गठबंधन पार्टनरों की मीटिंग को रद्द करके अचानक सतारा जिले में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए।

उल्लेखनीय है कि शिंदे ने शुक्रवार को, सतारा जाने के रास्ते में, मुम्ब्रा से विधायक तथा एन.सी.पी. के शरद

पर, उनकी नाखुशी इस बात के लिए बताई जाती है, जिस प्रकार से भाजपा विभागों का वितरण करना चाहती है।

भाजपा 22 विभाग रखना चाहती है, तथा 11 मंत्री पद शिंदे को तथा नौ अजित पवार को देना चाहती है।

अजित पवार को वित्त तथा शिंदे ग्रुप को नगरीय विकास व पब्लिक वेलफेयर।

यह भी एक चर्चा है कि, वे अकेले उपमुख्यमंत्री पद तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अजित पवार के साथ दूसरा उपमुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते।

पवार घटक के महत्वपूर्ण नेता, जितेन्द्र आव्हाड के साथ मीटिंग की, जिससे राज्य का सियासी पारा बड़ गया है।

शिंदे कैप दो मुद्दों को लेकर असंतुष्ट है। पहला, कि शिंदे और अजित पवार दोनों उपमुख्यमंत्री नहीं बन सकते।

दूसरा, विभागों के बंटवारे को लेकर, भाजपा का रूख स्वीकार्य नहीं है। खबरों के अनुसार भाजपा गृह विभाग मिलाकर 22 विभाग अपने पास रखना चाहती है तथा शिंदे सेना व अजित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## दिल्ली में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली, 29 नवंबर दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आधिकारिक तौर पर

दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी।

ऐलान किया कि दिल्ली में कांग्रेस सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी या किसी अन्य दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों पर भारत सरकार ने पहली बार नाराज़गी जताई

विदेश मंत्री ने कहा कि हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

- अंजन राय -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -  
नई दिल्ली, 29 नवम्बर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल रही है और इससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ रहे हैं। भारत ने हिंदुओं पर हो रहे हमले तथा उनके जान माल को नुकसान पहुंचाने पर गंभीर चिंता जताई है।

हालांकि दिनों में पहली बार, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, पर हमले बढ़ गए हैं। अंतरिम सरकार सब देख रही है, पर अल्पसंख्यकों को राहत

देने के लिए उसने कुछ नहीं किया। हिंदुओं पर हमले बढ़ने के बाद भी भारत सरकार ने वहां के हालात पर कोई भी बयान जारी करने से परहेज किया था। ऐसा लगता है कि सरकार की हिटनीति में बदलाव हुआ है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी की।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों पर कड़ी टिप्पणी की तथा तुलसी गबाई ने भी हिंदुओं पर हमले रोकने की बात कही। शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को नागरिकों की सुरक्षा

शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ भारी हिंसा हो रही है पर भारत सरकार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन, अब भारत ने अपनी कूटनीति में स्पष्ट बदलाव के संकेत दिए हैं।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर टिप्पणी की और तुलसी गबाई ने भी हिंदुओं के प्रति हिंसा रोकने की अपील की।

भारत के विदेशमंत्री जयशंकर ने जोशोरेश्वरी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चढ़ाया गया मुकुट खोने पर भी नाराजगी जताई।

आश्चर्य की बात यह है कि हर छोटी सी बात पर बयानबाजी करने वाली प. बंगाल की मुख्यमंत्री बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर चुप हैं।

सुनिश्चित करने के कर्तव्य की याद दिलाई। जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों,

जैसे ईसाई और बौद्धों, के खिलाफ भारी हिंसा हो रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने

कट्टरपंथियों के आगे चुटने टेक कर हिंदुओं खिलाफ सख्त रूख अपनाया। उन्होंने हिंदुओं व अल्पसंख्यकों के 17

मुस्लिम पक्ष से कहा, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रुकवाने के लिए पहले हाईकोर्ट जाएं

-डॉ. सतीश मिश्रा -  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 29 नवम्बर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने आज सम्भल के ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह गुप्त काल की मस्जिद के सर्वे से सम्बन्धित कोई आदेश पारित न करे। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिये कि वह हिंसा-ग्रस्त क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था कायम करे।

इसके अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आदेश दिये कि वह मुस्लिम पक्ष की याचिका के दायर होने के तीन दिन के अन्दर उसकी सुनवाई करे।

बेंच ने कहा, "हमें आशा एवं विश्वास है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में आगे तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा, जब तक उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करके, कोई आदेश पारित नहीं कर देता।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका दर्ज होने के तीन सप्ताह में ही मामला ठठा लें।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से हिंसाग्रस्त क्षेत्र में शान्ति व सद्भाव कायम करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से यह भी कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आने तक कोर्ट में पेश किसी भी रिपोर्ट को न खोला जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सम्भल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधक कमेटी की याचिका पर यह फैसला दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्यापक सराहना हुई है तथा कहा जा रहा है कि इससे साम्प्रदायिक हिंसा खत्म करने में मदद मिलेगी।

बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिये कि वह सम्भल में शान्ति और सद्भाव कायम करे तथा एक शान्ति समिति गठित करे, जिसमें दोनों समुदायों के

सदस्य हों। शीर्ष अदालत ने सम्भल ट्रायल कोर्ट को आगे कहा कि वह, उसके समक्ष पेश की गई किसी भी रिपोर्ट को

खोले नहीं, जब तक कि उच्च न्यायालय मुस्लिम पक्ष की याचिका की सुनवाई करके, कोई आदेश पारित न कर दे।

बेंच ने मुस्लिम पक्ष को सलाह दी कि वह जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाये। बेंच ने इस केस को विचाराधीन रखा तथा 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह के लिये इसे सूचीबद्ध करने के आदेश दिये।

सम्भल की शाही जामा मस्जिद की प्रबन्ध समिति गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई थी तथा उसने जिला अदालत के 19 नवम्बर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इस मुगलकालीन मस्जिद के सर्वे के निर्देश दिये गये थे। इसके अलावा, कमेटी ने सिविल जज द्वारा पारित 19 नवम्बर के आदेश के क्रियान्वयन पर "एक्स पार्ट स्ट्रे" (एक पक्ष की ओर से) की मांग की थी।

उत्तर प्रदेश के सम्भल कस्बे में तनाव 19 नवम्बर से हुआ, जब कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिये, क्योंकि ऐसा दावा किया गया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बिरसा मुंडा के पड़पोते का निधन

रांची, 29 नवंबर बिरसा मुंडा के पड़पोते मंगल मुंडा की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद आज रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में मौत हो गई। बता दें कि सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनका अस्पताल में इलाज जारी था। इस बीच गुरुवार की देर रात मंगल मुंडा ने रिम्स अस्पताल में

बिरसा मुंडा के पड़पोते मंगल मुंडा 25 नवम्बर को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गये थे।

अंतिम सांस ली। उनके भाई कानू मुंडा ने फेसबुक पर मंगल मुंडा के निधन का जानकारी साझा की। कानू मुंडा ने शुक्रवार को फेसबुक पोस्ट किया और अपने बड़े भाई के निधन की सूचना साझा की। कानू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)